न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–02, बुलन्दशहर
सत्रपरीक्षण संख्या–443/2015
राज्य बनाम राशिद उर्फ लम्बू

<u>दिनांक–23.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। आज सी.डब्लू. 01 निरीक्षक अशोक कुमार, थाना कोतवाली नगर की साक्ष्य अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू की मृत्यु आख्या के संबंध में अंकित की गयी।

अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी सी०डब्लू० 1 निरीक्षक अशोक कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू की मृत्यु आख्या के संबंध में सशपथ कथन किया कि *"उक्त वाद में अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू पुत्र इलियास, निवासी मौ० सरायकाजी, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर की दिनांक 07.05.2026 को हत्या हो गयी है, उक्त अभियुक्त के परिजनों से उसकी हत्या के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी सही छायाप्रति कराकर मेरे द्वारा मूल के अनुसार सही होना प्रमाणित किया गया।"* मेरे द्वारा थाने की आख्या को तस्दीक किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू के विरूद्ध पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त से एक अदद .32 बोर पिस्टल मय मैगजीन चार जिन्दा कारतूस के बरामद होना, जिसके प्रयोग अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.10.2014 को राजकुमार उर्फ हब्बू की हत्या करने में किया गया था, का आरोप अभिकथित है। उक्त पत्रावली वर्ष 2015 से लम्बित चल रही है। अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में सी०डब्लू० 1 निरीक्षक अशोक कुमार ने न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ कथन किया कि अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू पुत्र इलियास, निवासी मौ० सरायकाजी, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर की दिनांक 07.05.2026 को हत्या हो गयी है, उक्त अभियुक्त के परिजनों से उसकी हत्या के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी सही छायाप्रति कराकर उसके द्वारा मूल के अनुसार सही होना प्रमाणित किया गया। उक्त साक्षी द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति कागज संख्या 48B/1 व 48B/2 लगायत 48B/7 पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिसे उक्त साक्षी द्वारा प्रदर्श ख–1 व प्रदर्श ख–2 के रूप में साबित किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू की हत्या दिनांक 07.05.2026 पहर 3 समय 07:45 बजे हुई थी, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अलीशान द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू के विरूद्ध उक्त वाद में किसी भी अग्रेत्तर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

<u>–आदेश–</u>

तदनुसार अभियुक्त राशिद उर्फ लम्बू पुत्र निवासी मौ० सरायकाजी, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज कुमार सिंह–III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–02,
बुलन्दशहर।